यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला प्रोबेशन अधिकारी हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला प्रोबेशन अधिकारी हरिद्वार** के माह 05/2014 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपक मालवीय एवं श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 13.09.2018 से 18.09.2018 तक श्री ए सी कटियार, वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री खजान सिहं, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री श्रवण सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.05.2014 से 20.05.2014 तक श्री राकेश कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया। जिसमें माह 05/2012 से 04/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2014 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** समाज कल्याण विभाग की समस्त योजनाओ के कार्यकलापों का कार्य तथा इसका भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत /आधिक्य
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	बचत/आधिक्य	आवंटन `	व्यय `	
2015-16	0.00	0.00	150.47	89.06	61.41	2285.68	2285.55	0.13
2016-17	0.00	0.00	94.90	83.52	11.38	2248.17	2247.96	0.21
2017-18	0.00	0.00	130.63	105.39	25.24	2104.09	2104.09	0.00

नोट : वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशियाँ शासन को समर्पित कर दी जाती है

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि रू. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय
2014-15	विधवा पेंशन	0	80.45	80.45
2015-16	विधवा पेंशन	0	98.71	98.71
2016-17	विधवा पेंशन	0	86.30	86.30
2017-18	विधवा पेंशन	0	81.39	81.39

(iii) इकाई को बजट **निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखंड हल्द्वानी** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **(स)** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः- सचिव, **महिला एवं बाल विकास** → निदेशक, **महिला समाज कल्याण** →**मुख्य परिवीक्षा अधिकारी** → जिला **प्रोबेशन** अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **जिला प्रोबेशन अधिकारी हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला प्रोबेशन अधिकारी हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016, 03/2017, को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर-01-"गौरा देवी" कन्याधन योजना के अंतर्गत विभागीय स्तर पर वर्ष 2015-16 से संबन्धित 1318 पात्र बालिका लाभार्थियों का ₹ 329.50 लाख की सहायता राशि से वंचित रहना।

गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 से बी.पी.एल. परिवारों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में ₹ 15,976/- तथा शहरी क्षेत्रों में ₹ 21,206/- वार्षिक आय वाले परिवारों की बालिकाओं को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर "गौरा देवी" कन्याधन योजना के अंतर्गत ₹ 50,000/- के राष्ट्रीयकृत बैंकों की एफ डी के रूप में शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किए जाने हेतु प्रदान की जानी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2015-16 में सामान्य वर्ग के गौरादेवी कन्याधन योजना के अंतर्गत 1318 ऐसी पात्र बालिकाएँ थी जिनको ₹ 50,000/- प्रति लाभार्थी के स्थान पर मात्र ₹ 25,000/- प्रति लाभार्थी की दर से भुगतान किया गया। इसप्रकार वर्ष 2015-16 से उक्त 1318 लाभार्थियों को ₹ 25,000/- प्रति लाभार्थी की दर से भुगतान की जाने वाली कुल धनराशि ₹ 329.50 लाख संबन्धित लाभार्थियों को भुगतान किया जाना संप्रेक्षा तिथि (सितंबर 2018) तक लंबित था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ज़िला प्रोबेशन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत अवशेष लाभार्थियों को शासन निदेशालय स्तर से धनराशि प्राप्त न होने के कारण भुगतान लंबित है इकाई का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि विभागीय शिथिलता के परिणामस्वरूप ही जिन पात्र बालिकाओं को वर्ष 2015-16 की अवधि में लाभान्वित किया जाना था वे संप्रेक्षा तिथि सितंबर 2018 तक उक्त सहायता से वंचित थीं। साथ ही उक्त विभाग भी मार्च 2018से महिला बाल सरंक्षण में विलय कर दिया गया है।

अतः विभागीय स्तर पर गौरा देवी कन्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से संबन्धित 1318 पात्र बालिका लाभार्थियों का ₹ 329.50 लाख की सहायता राशि से वंचित रहने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रति. सं.	वर्ष	भाग-दो(अ)प्रस्तर सं.	भाग-दो(ब) प्रस्तर सं.	STAN प्रस्तर सं.
19	2014-15	-	01	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण हेतु इकाई द्वारा उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है जिसको लेखा परीक्षा द्वारा जांचोपरांत उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 19/2014-15 के प्रस्तर भाग दो ब 01 को निस्तारित करने की संस्तुति की जाती है ।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला प्रोबेषन अधिकारी हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	**अनुराग शंखधर**	**जिला प्रोबेशन अधिकारी**
(ii)	**अनिल कुमार सैनी**	**जिला प्रोबेशन अधिकारी**
(iii)	**श्रीमती मीना बिष्ट**	**जिला प्रोबेशन अधिकारी**
(iv)	**दीपराज अग्नीहोत्री**	**जिला प्रोबेशन अधिकारी**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला प्रोबेषन अधिकारी हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजकि क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)